रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102024-257929
CG-DL-E-16102024-257929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]	नई दिल्ली सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/ आश्विन 22, 1946
No. 578]	NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ ASHVINA 22, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि.634 (अ).—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, गृह मंत्रालय में सहायक कमांडेंट (भेषजज्ञ), पाराचिकित्सा संवर्ग के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, **अर्थात** :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. —** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (भेषजज्ञ), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर —** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि -** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** कोई भी व्यक्ति,

(ए) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(बी) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह के लिए संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **अधिवर्षिता - (**1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति जिस माह में साठ वर्ष की आयु पूरा करता या करती है, उस दिन के अंतिम दिन के अपराह्न को सेवानिवृत्त होगा या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जैसा विहित किया जाए ।

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख महीने की पहली तारीख को है, वह 60 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन के अपराह्न से सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के पश्चात सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा जैसा कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट है ।

6. **सेवा का दायित्व —** इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई भी व्यक्ति भारत अथवा विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

7. **शिथिल करने की शक्ति -** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति — इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध कराना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक कमांडेंट (भेषजज्ञ)	4* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 10 (56100- 177500 रुपए)	**चयन**

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।**
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।**

द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	
10)	**(11)**
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** (ए) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ऐसे निरीक्षक (भेषजज्ञ) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रुपए) की श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो; तथा (बी) अभ्यर्थी की चिकित्सा श्रेणी शेप-1 होनी चाहिए । टिप्पण - जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1 महानिदेशक या विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - **अध्यक्ष**; 2 महानिरीक्षक-सह-निदेशक (चिकित्सा) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - **सदस्य**; 3 उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - **सदस्य**; 4 निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय - **सदस्य.** **समूह 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1 महानिदेशक या विशेष महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - **अध्यक्ष**; 2 महानिरीक्षक-सह-निदेशक (चिकित्सा) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल - **सदस्य**;	लागू नहीं होता

3	उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	-	सदस्य;	
4	निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय	-	सदस्य.	

[फा. सं. आर-नौ-3/2022-24-चिकित्सा-डीए-I]

जी. पार्थसारथी, संयुक्त सचिव (पी-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2024

G.S.R.634(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commandant (Pharmacist), Para-Medical Cadre, in the Central Reserve Police Force, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Central Reserve Police Force, Assistant Commandant (Pharmacist), Group 'A' post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Superannuation.—** (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as per prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is on the first day of a month, shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule(1).

6. **Liability of service.—** Any person, appointed to the said post under these rules shall be liable to serve anywhere in India or aboard.

7. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8**.** **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Assistant Commandant (Pharmacist).	4 * (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non - Ministerial.	Level - 10 in the pay matrix (Rs. 56100- 177500).	**Selection.**

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
10)	**(11)**
By promotion.	**Promotion:** (a) Promotion from amongst the Inspector (Pharmacist) of the Central Reserve Police Force in level - 7 in the pay matrix (Rs. 44900- 142400) with five years regular service in the grade and having successfully completed pre-promotional course as prescribed; and (b) the candidates shall be in medical category SHAPE-1. Note.— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1 Director General or Special Director General, Central Reserve Police Force. - Chairman; 2 Inspector General-cum-Director (Medical) Central Reserve Police Force. - Member; 3 Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force. - Member;	Not applicable.

4 Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member. **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1 Director General or Special Director General, Central Reserve Police Force. - Chairman; 2 Inspector General-cum-Director (Medical) Central Reserve Police Force. - Member; 3 Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force. - Member; 4 Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs. - Member.	

[F. No. R-IX-3/2022-24-Med-DA-I]

G. PARTHASARATHI, Jt. Secy. (P-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA